



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 आश्विन 1945 (श10)

(सं0 पटना 865) पटना, वृहस्पतिवार, 19 अक्टूबर 2023

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

19 अक्टूबर 2023

**अधिसूचना संख्या 15/2023-राज्य कर (दर)**

एस० ओ०-348 दिनांक 19 अक्टूबर 2023—बिहार वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम-12, 2017)की धारा 54 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल,इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है,परिषद की सिफारिशों के आधार पर,एतदद्वारा, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या15/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 558,दिनांक 29 जून, 2017, द्वारा प्रकाशित किया गया था,में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, शुरुआती पैराग्राफ में, शब्दों, कोष्ठक, अक्षरों और अंकों के लिए "राज्य माल और सेवा कर अधिनियम की अनुसूची 2की मद 5 के उप-मद (ख) में निर्दिष्ट" है शब्द, "एक परिसर, भवन या उसके एक हिस्से का निर्माण, जो खरीदार को पूरी तरह या आंशिक रूप से बिक्री के लिए है, जहां सेवा के प्राप्तकर्ता से ली गई राशि में भूमि का मूल्य या भूमि का अविभाजित हिस्सा शामिल है, जैसा भी मामला हो सकता है, सिवाय इसके कि संपूर्ण प्रतिफल पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के बाद, जहां आवश्यक हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा या उसके पहले कब्जे के बाद, जो भी पहले हो, प्राप्त हो गया हो", प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 20 अक्टूबर, 2023 से लागू होगी।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-17)15)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
डॉ० प्रतिमा,  
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

19 अक्टूबर 2023

एस०ओ० 348 दिनांक 19 अक्टूबर 2023 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-17)15)]  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
डॉ० प्रतिमा,  
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

**The 19<sup>th</sup> October 2023****Notification No. 15/2023- State Tax (Rate)**

**S.O. 348 Dated 19 October 2023**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 54 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Commercial Taxes Department, Notification No. 15/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 558, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, in opening paragraph, for the words, brackets, letters and figures “specified in sub-item (b) of item 5 of Schedule II of the Bihar Goods and Services Tax Act”, the words, “of construction of a complex, building or a part thereof, intended for sale to a buyer, wholly or partly, where the amount charged from the recipient of service includes the value of land or undivided share of land, as the case may be, except where the entire consideration has been received after issuance of completion certificate, where required, by the competent authority or after its first occupation, whichever is earlier”, shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from the 20<sup>th</sup> October, 2023.

[(File No. Bikrikar/GST/vividh-21/2017 (Part-17)15)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 865-571+10-डी0टी0पी0

Website: <http://egazette.bih.nic.in>